इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 280]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2015—आषाढ़ 24, शक 1937

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2015

क्र. एफ 22-17-2015-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 116 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारियों को, किसी ऐसे चिह्न या विज्ञापन को, जो उसकी राय में इस प्रकार रखा गया है कि उसके कारण कोई यातायात चिह्न दिखाई नहीं पड़ता है अथवा किसी ऐसे चिह्न या विज्ञापन को जो उसकी राय में दिखने में किसी यातायात चिह्न के इतना समरूप है कि भ्रम पैदा कर सकता है या जो उसकी राय में चालक के ध्यान या एकाग्रता को बंटा सकता है, हटा देने या हटवा देने हेतु सशक्त करती है.

No. F 22-17-15-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 116 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988) the State Government, hereby empowers Police Officers of every district not below the rank of a Superintendent of Police to remove or cause to be removed any sign or advertisement which is so placed in his opinion as to obscure any traffic sign from view of any sign or advertisement which in his opinion is so similar in appearance to a traffic sign as to be misleading or which in his opinion is likely to distract the attention or concentration of the dirver.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.